पं.क्र. 4453

सिकल सेल संस्थान, छत्तीसगढ़
(SCIC)

हेतु
समिति (सोसायटी) का

Article of Association

सिकल सेल संस्थान, छत्तीसगढ़, रायपुर

(Article of Association)

I. **सोसायटी का नाम –** **''स्वशासी समिति सिकल सेल संस्थान, छत्तीसगढ़''**

II. **सोसायटी का कार्यालय – आनुवांशिक प्रयोगशाला, बायोकेमेस्ट्री विभाग, पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)**

III. **सोसायटी का कार्यक्षेत्र – संपूर्ण छत्तीसगढ़**

IV. **सोसायटी का उद्देश्य :–**

1. ऐसे समर्पित केन्द्र/केन्द्रों की स्थापना जो कि रक्त दोषों के उपचार विशेषकर हीमोग्लोबिनोपेथी का उपचार करे।
2. ऐसे अनुसंधान कार्य जो कि सिकल सेल मरीजों एवं अन्य हिमोग्लोबिनोपेथी के मरीजों की चिकित्सा एवं इस रोग के निदान के लिये हो।
3. सिकल सेल बीमारी से संबंधित चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना।
4. सिकलसेल मरीजों एवं अन्य हीमोग्लोबिनोपेथी के मरीजों के परामर्श की सुविधाओं की स्थापना जिससे इन बीमारियों की रोकथाम की जा सके।
5. जनशक्ति नियोजन की आवश्यकताओं एवं मानव संसाधनों के विकास हेतु प्रयत्न, जिससे उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।
6. जनता में सिकल सेल एवं अन्य हीमोग्लोबिनोपेथी के बारे जनजागरण।
7. सम–उद्देशी अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थानों के बीच समन्वय जो कि सिकल सेल मरीजों एवं अन्य हीमोग्लोबिनोपेथी के मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य के लिये कार्यरत हों।
8. सिकल सेल मरीजों एवं अन्य हीमोग्लोबिनोपेथी के मरीजों को बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान करना।

V. **सोसायटी के कार्य :–**

1. सिकल सेल एवं अन्य हीमोग्लोबिनोपेथी के मरीजों के लिये रायपुर एवं राज्य के अन्य स्थानों पर आवश्यकतानुसार समर्पित चिकित्सालय का निर्माण
2. इन आनुवांशिक बीमारियों के उपचार हेतु अनुसंधान, नई इलाज पद्धति का विकास नई औषधियों एवं अन्य वैज्ञानिक भागीदारियों का विकास।

3. चिकित्सकों एवं चिकित्सा जगत तथा इस क्षेत्र में कार्यरत पैरामेडिकल को सतत प्रशिक्षण सुविधायें देना।

4. इन आनुवांशिक बीमारियों के स्वास्थ्य समस्याओं के मूल्यांकन/आंकलन हेतु सतत जांच कार्य।

5. सिकल सेल एवं अन्य हिमोग्लोबिनोपेथी मरीजों को आधुनिक इलाज की सुविधा प्रदान करना।

6. इन आनुवांशिक बीमारियों से बचने हेतु व्यक्तिगत आनुवांशिक परामर्श एवं विवाह संबंधी परामर्श।

7. संस्थान में बीमारी की आधुनिक जांच सुविधायें प्रदान करना ।

8. इस विषय एवं संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय कार्यशाला/परिसंवाद का आयोजन करना।

9. देश एवं विदेशों मे इस रक्त दोष संबंधी बिमारियों पर कार्यरत संस्थाओं/चिकित्सालयों से संबंध एवं अकादमिक सहयोग स्थापित करना।

10. पी.एच.डी. एवं अन्य परा विशेषज्ञता, यथा डी.एम., एम.डी. (आनुवांशिक तथा रक्त दोष) एवं अन्य संबंधी विषयों पर समान पाठ्यक्रम संचालित करना जिससे राज्य के मानव संसाधन का विकास हो एवं सोसायटी को लाभ हो ।

11. संचालक मण्डल द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का क्रियान्वन।

VI. संचालक मण्डल (सामान्य सभा सदस्य):–

1. सोसायटी के सामान्य कार्यकलाप का संधारण, आर्टिकल ऑफ एसोशिएन द्वारा संचालक मण्डल को सौंपा गया है।

2. संचालक मण्डल के सदस्यों का नाम, पता एवं व्यवस्था निम्नानुसार है:–

क्र.	नाम/पता	पद
(1)	मान. स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ शासन	– अध्यक्ष
(2)	सचिव (जिस किसी भी पदनाम से जाना जाये) वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन	– सदस्य
(3)	सचिव (जिस किसी भी पदनाम से जाना जाये) छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य विभाग,	– सदस्य
(4)	सचिव (जिस किसी भी पदनाम से जाना जाये) छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग,	– सदस्य
(5)	कुलपति, छ.ग.आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर	– सदस्य

(6) आयुक्त,
स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ – सदस्य

(7) संचालक,
चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ – सदस्य

(8) संचालक,
स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़ – सदस्य

(9) संचालक,
आयुष, छत्तीसगढ़ – सदस्य

(10) जिलाधीश, रायपुर – सदस्य

(11) महानिदेशक,
सिकल सेल इंस्टीट्यूट, रायपुर – सदस्य सचिव

3. अध्यक्ष अन्य तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदस्य रूप में चयन कर सकते, जो कि सिकल सेल एवं अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी के मरीजों की बेहतरी के लिए समर्पित हैं।

4. राज्य शासन द्वारा जन–प्रतिनिधियों में से दो सदस्यों को नामांकित की जायेगी ।

5. संचालक मण्डल उपरोक्तानुसार 16 सदस्यों की होगी, परंतु संचालक मण्डल के निर्णय अनुसार सदस्यों की संख्या कम अथवा ज्यादा की जा सकेगी ।

6. संचालक मण्डल की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक अनिवार्यतः होगी अथवा आवश्यकतानुसार बैठक का आयोजन कभी भी किया जा सकेगा।

7. बैठक संचालन हेतु कम से कम 6 सदस्यों की उपस्थिति कोरम पूर्ण करने हेतु आवश्यक होगी।

8. छत्तीसगढ़ के प्रभारी स्वास्थ्य, मंत्री संचालक मण्डल के अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष के अधिकार अन्य सदस्यों को हस्तांतरित नहीं होंगे।

9. संचालक मण्डल के निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होंगे।

VII. संचालक मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य

संचालक मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे –

(1) संपूर्ण वित्तीय अधिकार

(2) सोसायटी के सीईओ के अधिकारों की स्वीकृति।

(3) संस्थागत संरचना का परीक्षण एवं स्वीकृति

(4) संस्था के बजट का परीक्षण एवं स्वीकृति

(5) सोसायटी के लेखा–परीक्षण की जांच एवं वार्षिक रिपोर्ट की स्वीकृति।

(6) कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का परीक्षण एवं स्वीकृति।

(7) शासन से प्राप्त अनुदान/दानराशि, एवं अन्य संस्थाओं/संगठनों/अन्य माध्यमों से प्राप्त राशियों का परिचालन।

(8) संचालक मण्डल के सदस्यों/कार्यकारिणी सदस्यों/अधिकारी– कर्मचारियों की विदेश यात्राओं का अनुमोदन करना।

(9) संस्थान के महानिदेशक को सभी अथवा कुछ अधिकार प्रदान करना।

(10) संस्थान के सहज संचालन हेतु विभिन्न समितियों का गठन, यथा – क्रय समिति, अकादमिक समिति, वित्त समिति, एवं अनुशासन समिति इत्यादि ।

(11) संस्था के हित में उद्देश्यों एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अन्य कोई कार्य संपादित करना अथवा कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु निर्णय लेना ।

VIII. मुख्यकार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

(1) सिकलसेल संस्थान के महानिदेशक ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे एवं समस्त कार्यकारी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर संस्थान हेतु जनशक्ति कार्यक्रम, बजट, वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों को बनाने एवं संचालक मण्डल/कार्यकारिणी समिति से स्वीकृति प्राप्त करने की जिम्मेदारी होगी।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संस्थान के दिन प्रतिदिन के कार्यों हेतु जिम्मेदार होंगे। इन कार्यों के संचालन हेतु संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित पदों पर एक अथवा आवश्यकतानुसार अधिकारियों की जो इन पदों हेतु विहित योग्यतायें रखते हों, की सहायता ले सकते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ऐसे अधिकारियों को संचालक मण्डल की अनुमति अनुसार अधिकार प्रदान किये जा सकेगें।

(4) आपात स्थिति अथवा परिस्थिति में संचालक मण्डल या कार्यकारिणी समिति अथवा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत गठित किसी अन्य समिति की अनुमति की प्रत्याशा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शासन से सर्कुलेशन में लिखित अनुमति लेकर संस्थान हेतु निर्णय ले सकेगें।

(5) समिति एवं किसी अन्य पक्ष के बीच विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संचालक मण्डल से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत शासन से मध्यस्थता करने हेतु अनुरोध करेंगे। शासन स्तर पर मध्यस्थ सचिव स्तर के अधिकारी होंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा।

IX. कार्यकारिणी समिति

(1) सिकल सेल संस्थान, छत्तीसगढ़ के उद्देश्यों एवं कार्यों को पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति होगी –

1	महानिदेशक, सिकल सेल संस्थान	–	अध्यक्ष
2.	संचालक शोध कार्य, सिकल सेल संस्थान	–	सदस्य
3.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा नामांकित अधिकारी	–	सदस्य
4.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा नामांकित अधिकारी	–	सदस्य
5.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा नामांकित अधिकारी	–	सदस्य

6.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नामांकित अधिकारी	–	सदस्य
7.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, विभाग द्वारा नामांकित अधिकारी	–	सदस्य
8.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नामांकित अधिकारी	–	सदस्य
9.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास द्वारा नामांकित अधिकारी	–	सदस्य
10.	संचालक, मेडिसीन, सिकल सेल संस्थान	–	सदस्य सचिव
11.	विभाग द्वारा नामांकित अधिकारी (प्रतिष्ठित वैज्ञानिक)	–	(3)सदस्य

(2) संचालक मण्डल के अध्यक्ष किन्हीं तीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को जो कि सिकल सेल एवं अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी के क्षेत्र में कार्यरत हो को कार्यकारिणी के सदस्य निर्धारित कर सकते हैं, जिनका अधिकतम कार्यकाल दो वर्षों से अधिक न हो।

(3) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में अनिवार्यतः अथवा जब आवश्यक हो तब अध्यक्ष की अनुमति से आयोजित की जायेगी।

X. कार्यकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार

1. समिति के सुचारू संचालन हेतु कार्यक्रमों की रूपरेखा, कार्ययोजना तैयार करना एवं उनकी अनुशंसा करना।
2. समिति का वार्षिक प्रतिवेदन एवं आय–व्यय पत्रक बनाना एवं उसे अनुशंसा सहित संचालक मण्डल को प्रस्तुत करना।
3. व्यावसायिक विशेषज्ञों/सलाहकारों को समयबद्ध कार्यक्रम तय कर कार्य देना एवं इस संबंध में किये कार्यो की समीक्षा करना एवं अनुबंधों की स्वीकृति देना।
4. संस्थान हेतु अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति, कार्यरत् कर्मचारियों हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रम स्वीकृत करना, अधिकारी एवं कर्मचारियों की त्याग–पत्र स्वीकृत करना एवं संस्थान के वित्तीय तथा प्रशासनिक नियमों को स्वीकृत करना।
5. ऐसे कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना, जिससे समिति के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

XI. रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली सूचना

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अधीन धारा 27 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर संचालक मण्डल की वार्षिक बैठक के 45 दिवस भीतर रजिस्ट्रार को सूचना दी जाएगी। संस्था को आडिट की गई वित्तीय स्थिति की जानकारी भी अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत प्रेषित की जाएगी।

XII. संशोधन

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालक मण्डल को ''आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ सोसायटी'' में दिए गए नियमों में 3/5 सदस्यों की अनुशंसा पर संशोधन करने का अधिकार होगा ।

XIII. संस्था को भंग किया जाना –

संचालक मण्डल (आम सभा) के कुल सदस्यों में से कम से कम 3/5 सदस्यों की सहमति से इस संस्था को भंग करने की अनुशंसा कर सकती है। संस्था भंग होने की स्थिति में संस्था की चल एवं अचल संपत्ति का निपटारा शासन के निर्णय के अनुसार होगा। छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत इसी तरह कार्य करने वाली किसी अन्य संस्था को संस्थान–संपत्ति दान करने की अनुशंसा शासन को कर सकती है। संस्था अथवा आम सभा में विवाद की स्थिति में पंजीयक को अंतिम निर्णय देने का अधिकार रहेगा।

XIV. संस्था की वित्तीय संरचना

संस्था की वित्तीय संरचना निम्नानुसार होगा –

1. राज्य, केन्द्र शासन एवं अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किया गया अनुदान । (ग्रांट इन एड)
2. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्था/कंपनी अथवा अन्य से प्राप्त दान/अनुदान ।
3. शासन अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय/अन्य प्राप्तियाँ।
4. संस्थान को प्राप्त शुल्क एवं जमा राशियों पर ब्याज से प्राप्त आय एवं अन्य आय।
5. ऐसी सभी धनराशि जो संस्थान को अनुदान, उपहार, दान, हितलाभ, अथवा स्थानांतरण से प्राप्त हों।

XV. संपत्ति

संस्थान की समस्त चल एवं अचल संपत्ति, संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम होगी। शासन की पूर्वानुमति एवं रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटी की लिखित अनुमति के बिना कोई भी अचल संपत्ति बेची, खरीदी, गिरवी अथवा स्थानांतरित नहीं की जा सकेगी।

XVI .रजिस्ट्रार द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन

सोसायटी द्वारा संचालक मण्डल का वार्षिक सम्मेलन नहीं किये जाने की स्थिति में, रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटी को ''आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन'' के अंतर्गत वार्षिक सम्मेलन आयोजन करने का अधिकार होगा।